न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टीए/5081/2003/हनुमानगढ़

1– मनफूल पुत्र गणेशा जाति धानक निवासी मालिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

..... प्रतिवादी/अपीलांट

बनाम

1– रामकुमार पुत्र गोरधन जाति जाट,
2– डूंगर पुत्र गोरधन जाति जाट निवासीगण सोनड़ी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3– राजस्थान सरकार।

..... रेस्पोडेन्ट्स

खण्ड पीठ
श्री सुनील कुमार शर्मा, सदस्य
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थितः–
(1) श्री योगेन्द्रसिंह, अभिभाषक अपीलांट।
(2) श्री सोहनपालसिंह चौधरी अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1 व 2

निर्णय **दिनांक :– 3–3–2020**

यह द्वितीय अपील धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत विरूद्ध आदेश राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23–9–2003 अपील सं0 128/2002 बउनवानी रामकुमार बनाम मनफूल के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, नोहर के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि रोही मालिया के खसरा नं0 320 में 30–03 बीघा भूमि दिनांक 2–8–1977 को मोहरा जोजा उदाराम ने खरीद की थी व लगातार खरीद की दिनांक से वादी के नाम चली आ रही है। उक्त बयनामा का इन्तकाल भी दिनांक 15–12–1977 को वादीगण के नाम खोला जा चुका है। प्रतिवादी मनफूल को खसरा नं0 121 की 18 बीघा भूमि आवंटनशुदा है। बन्दोबस्त विभाग की पैमाईश में उक्त भूमि के खसरा नं0 317/339 में 13 बीघा व खसरा नं0 317 में 5 बीघा पैमूद हुई जो उनके नाम से दर्ज हुई जिसमें से 13 बीघा भूमि सिवायचक दर्ज हो गई व 5 बीघा भूमि उसके पिता गणेशा के नाम दर्ज कर दी गई। सिवायचक भूमि किशनाराम

को आवंटन हो गई जिसके विरूद्ध प्रतिवादी मनफूल ने अपील दायर की जो प्रतिप्रेषित होकर प्राप्त होने के बाद राजस्व अभियान दिनांक 29–10–1977 को 13 बीघा भूमि प्रतिवादी को आवंटन कर दी गई। प्रतिवादी ने एक दावा मनफूल बनाम मोहरा में वादी को पक्षकार बनाये बिना ही खसरा नं0 320 की 2–10 बीघा भूमि का पेश किया जो दिनांक 11–7–1990 को डिक्री कर दिया। प्रतिवादी के पिता मनफूल की साबिक खसरा नं0 121 में 54–1 बीघा भूमि थी जो वर्तमान में 72–18 बीघा भूमि उसके नाम दर्ज है, अर्थात 18–17 बीघा भूमि अधिक भूमि प्रतिवादी व उसके पिता के कब्जे में है। प्रतिवादी ने दावा गलत आधार से प्रस्तुत करके 2–10 बीघा भूमि भी अपने नाम से दर्ज करा ली। वादी ने अपनी खरीदशुदा भूमि 30–03 बीघा भूमि अपने नाम से दर्ज करवाने हेतु वाद पेश किया था। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया जिन्होंने उपस्थित होकर जवाब दावा प्रस्तुत कर वादी के कथनों से इन्कार किया। विद्वान विचारण न्यायालय ने दावे व जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम करते हुए दोनों पक्षों को सुनकर अपने निर्णय दिनांक 20–09–2002 से वादी का वाद खारिज कर दिया जिस निर्णय के विरूद्ध वादीगण ने विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ के यहां अपील दायर की जिसमें विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम करते हुए तथा उनका विस्तृत विवेचन करते हुए दोनों पक्षों को सुनकर अपने निर्णय दिनांक 23–9–2003 से अपीलांट की अपील स्वीकार करते हुए विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 20–9–2002 को अपास्त कर दिया जिस निर्णय व डिक्री दिनांक 23–9–2003 से व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– विद्वान अधिवक्तागण की अपील पर बहस सुनी गयी।

4– विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि के प्रावधानों के विपरीत व नियम विरूद्ध होने से निरस्त योग्य हैं। विद्वान परीक्षण न्यायालय ने केवल तनकी नं0 1 व 2 का निर्णय वादीगण के विरूद्ध करते हुए अन्य तनकीयात पर कोई निर्णय नहीं दिया एवं वादीगण को आराजी खसरा नं0 320 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा जो कि खसरा नं0 121 का भाग था का खातेदार नहीं माना। प्रतिवादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद सं. 140/84 बउनवानी मनफूल बनाम मोहरा में पारित किया गया निर्णय व डिक्री दिनांक 11–7–1990 के अनुसार आराजी खसरा नं0 320 का रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा प्रतिवादी/अपीलांट की खातेदारी घोषित की जा चुकी है। आराजी खसरा नं0 320 बाबत् यदि वादीगण को अपनी घोषणा

खातेदारी करवानी थी तो केवल अपीलांट का वाद सं. 140/1984 निर्णय दिनांक 11–7–1990 के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में या तो अपील प्रस्तुत करते या उक्त प्रश्नगत निर्णय को अपास्त कराने के लिए सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत करते। वादीगण ने निर्णय दिनांक 11–7–1990 के विरूद्ध कोई अपील प्रस्तुत नहीं की एवं न सक्षम न्यायालय से उक्त प्रश्नगत निर्णय व डिक्री को निरस्त कराया। इसलिए विद्वान अपीलीय न्यायालय को उक्त प्रश्नगत निर्णय को डिक्री करने का अधिकार नहीं था। विद्वान अपीलीय न्यायालय ने मु0 मोहरा द्वारा निष्पादित विक्रयपत्र दिनांक 2–8–1977 के आधार पर खातेदार घोषित कर दिया जबकि मु0 मोहरा आराजी खसरा नं0 320 के कुल रकबा 27 बीघा 13 बिस्वा की खातेदार थी तथा इससे अधिक रकबा विक्रय करने का उसको कोई अधिकार नहीं था। विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा सरसरी तौर पर अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। बहस में आगे कहा कि आराजी खसरा नं0 121 जिसमें विवादित भूमि रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा शामिल है, का खातेदार अपीलांट है। अपीलांट कमजोर व अनुसूचित जाति का सदस्य है जिसके विरूद्ध उसकी खातेदारी की भूमि पर सवर्ण जाति के व्यक्ति को अधिकार नहीं दिये जा सकते हैं। विद्वान अपीलीय न्यायालय ने धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का उल्लंघन करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा पर काबिज है एवं वर्तमान रकबा आराजी खसरा नं0 121 में शामिल है। बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि पूर्व वाद 140/1984 दिनांक 11–7–1990 एकतरफा में डिक्री हुआ है जिसमें हमने जवाब दावा प्रस्तुत किया था। आवंटन से ज्यादा का बेचान कर दिया। विवादित आराजी के संबंध में ऐसा कोई रेकार्ड नहीं है कि पैतृक आराजी थी। प्रश्नगत आराजी आवंटित हुई थी। अतः अपील अपीलांट स्वीकार करे हुए विद्वान अपीलीय न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावें तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नोहर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20–9–2002 यथावत् रखा जावें। अपने कथन के समर्थन में 1990 आर0आर0डी0 पेज 200 प्रस्तुत की।

5– इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता रैस्पोडेंट ने अपीलांट की बहस का विरोध करते हुए कहां कि मु0 मोहरा को कोई आराजी आवंटित नहीं हुई बल्कि प्रश्नगत आराजी पैतृक आराजी है। जमाबन्दी में जितनी आराजी थी उतनी का ही बेचान किया है। पूर्व दावा सं0 140/1984 में मनफूल ने मु0 मोहरा देवी के खिलाफ खरीददार को पक्षकार नहीं बनाया जबकि जमाबन्दी में हमारा नाम था। परीक्षण न्यायालय द्वारा हमारा दावा गलत खारिज किया गया था। इसलिए विद्वान अपीलीय न्यायालय का निर्णय सही

है जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें। उन्होंने अपने कथन की ताईद में 1990 आर0आर0डी0 पेज 612 एवं 2007 आर0आर0टी0 पेज 360 के न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये।

6- हमने विद्वान अधिवक्तागण की ओर से की गयी बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया।

7- विद्वान परीक्षण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, नोहर ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 20-9-2002 में अंकित किया कि अन्य समस्त तनकियान इन्हीं पर आधारित है जिनका निर्णय स्वतः ही वादीगण के खिलाफ हो जाता है। अतः वाद वादीगण साबित नहीं है तथा इसी न्यायालय द्वारा जारी डिक्री/निर्णय दिनांक 11-7-1990 की पालना में भूमि दर्ज है को दुरूस्त कराने के लिए पेश किया जाना पाया जावें तथा प्रकरण अपीलीय होने से खारिज किया जाता है। विद्वान अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ ने अपने निर्णय दिनांक 23-9-2003 में माना कि तनकीवार विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार योग्य बनती है व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री अपास्त की जाती है।

8- पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ़ ने तनकीवार विवेचन कर निर्णय दिनांक 20-9-2002 पारित किया है। विद्वान विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में यह अंकित किया है कि वादी ने दावा सन् 1990 के बाद में सन् 1997 में प्रस्तुत किया है जो अन्दर मियाद भी नहीं है। प्रतिवादी एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति है जिसकी भूमि किसी भी तरह से वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। अतः उपरोक्त तथ्यों से यह निष्कर्ष निकलता है कि वर्तमान रेकार्ड में वादग्रस्त भूमि का प्रतिवादी राजस्व रेकार्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज है जो इसी न्यायालय की निर्णय व डिक्री दिनांक 11-7-1990 से दर्ज होना पाया जाता है। वादीगण को उक्त निर्णय के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करनी चाहिए थी। इस न्यायालय में दुबारा दावा नहीं चल सकता है।

9- विद्वान अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ ने अपने निर्णय दिनांक 23-9-2003 में अंकित किया कि रेस्पोडेन्ट की मुख्य आपत्ति यही है कि वाद उनवानी मनफूल बनाम मोहरा वाद सं0 140/84 में पारित निर्णय दिनांक 11-7-1990 के द्वारा रेस्पोडेन्ट को खसरा नं0 320 की 2-10 बीघा भूमि का खातेदार घोषित किया जा चुका है व उक्त निर्णय अंतिम होने के कारण वादी को उक्त

2–10 बीधा भूमि का खातेदार घोषित नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उक्त निर्णय दिनांक 11–7–1990 की सत्यप्रति प्रदर्श पी–4 के अवलोकन से यह तथ्य साबित है कि वादी उक्त निर्णय व डिक्री में पक्षकार नहीं था। मोहरा देवी द्वारा उक्त भूमि का बयनामा अपीलांट के पक्ष में दिनांक 2–8–1977 को ही करवा दिया गया था व वाद सन् 1984 में दायर किया गया है व वाद में अपीलांट रामकुमार व डूंगर को पक्षकार नहीं बनाया गया है।

10– वाद में प्रस्तुत नकल निर्णय उपखण्ड अधिकारी, नोहर दिनांक 29–10–1977 प्रदर्श पी–8 में रेस्पो0 को खसरा नं0 317/339 की 13 बीघा भूमि ही आवंटन की जानी साबित है। पूर्व में रेस्पोडेन्ट को खसरा नं0 121 की 18 बीघा भूमि आवंटन की गई थी व खसरा मिलान प्रदर्श पी–5 के अनुसार खसरा नं0 121 के हाल खसरा नं0 243, 217 व 317/335 में पैमूद हुई है अर्थात खसरा नं0 320 की भूमि से रेस्पोडेन्ट का कोई संबंध नहीं है व खसरा नं0 243, 217, 317/335 की भूमि रेस्पोडेन्ट के पिता गणेशा के नाम से जमाबन्दी सम्वत् 2052 में दर्ज होनी साबित है। उक्त दस्तावेजों से यह तथ्य साबित है कि खसरा नं0 121 की 18 बीघा भूमि में से 13 बीघा भूमि रेस्पोडेन्ट के नाम से शेष 5 बीघा भूमि उसके पिता के नाम से दर्ज है। खसरा नं0 320 की 2–10 बीघा भूमि में रेस्पोडेन्ट का कोई हित नहीं है।

11– विद्वान अपीलीय न्यायालय की उपरोक्त फाईंडिंग विधिसम्मत नहीं है। रेस्पो0/वादी को विद्वान उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 11–7–1990 के द्वारा खसरा नं0 320 की 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया था। अतः रेस्पोडेन्ट/वादी का उक्त भूमि में हक निहित है। विद्वान उपखण्ड अधिकारी द्वारा पूर्व में दिनांक 11–7–1990 को निर्णय किया गया था जबकि अपीलांट/प्रतिवादी के द्वारा दावा वर्ष 1997 में किया गया अर्थात 7 वर्ष बाद लेकिन विद्वान अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय में मियाद के बिन्दु पर कोई विवेचन नहीं किया है।

12– विद्वान अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रतिवादी के अनुसूचित जाति का व्यक्ति होने से उसकी भूमि किसी भी तरह से वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होने अर्थात धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में उल्लंघन के बिन्दु पर निर्णय में कोई भी विवेचन अंकित नहीं किया गया है।

13– ऐसी स्थिति में विद्वान अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत नहीं होने से काबिल खारिज योग्य है एवं प्रकरण अपीलीय न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का मोहताज है।

14– अतः उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप यह अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23–9–2003 निरस्त किया जाता है और प्रकरण विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपरोक्त विवेचन के अनुसार उभयपक्ष को सुनकर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र माहेश्वरी)
सदस्य

(सुनील कुमार शर्मा)
सदस्य